रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1972/माघ 19, 1893

No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1972/MAGHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1972

S.O. 124(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 638, dated the 10th February, 1969 (as amended from time to time), namely:—

In the said notification, for the words, "which provides for delivery within the month from the date of which the contract has been entered into", the following shall be substituted, namely:—

'which provides for delivery—

(i) within two months from the date on which such contract has been entered into for the sale or purchase of cotton grown in the border areas of Punjab, Haryana and Rajasthan; or

(ii) within one month from the date on which such contract has been entered into in respect of cotton grown in other areas:

Explanation.—In this notification 'border areas" means the districts of Amritsar, Ferozepore and Bhatinda in the State of Punjab, the district of Hissar in the State of Haryana and the district of Ganganagar in the State of Rajasthan.".

[No. F. 10(25)-IT/70.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972

का० आ० 124(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 638 तारीख 10 फरवरी, 1969 (समय समय पर यथासंशोधित) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में —

'जिस तारीख को संविदा किया गया हो उससे एक मास के अन्दर परिदान के लि व्यवस्था है'

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"जिसमें—

(i) पंजाब, हरयाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली कपास के विक्रय या क्रय के लिए जिस तारीख को ऐसा संविदा किया गया है उससे दो मास के अन्दर, या

(ii) अन्य क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली कपास के सम्बन्ध में जिस तारीख को ऐसा संविदा किया गया हो उससे एक मास के अन्दर, परिदान के लिए व्यवस्था है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में 'सीमा क्षेत्र' से पंजाब राज्य के अमृतसर, फिरोजपुर और भटिंडा जिले, हरयाणा राज्य का हिसार जिला और राजस्थान राज्य का गंगानगर जिला अभिप्रेत है।'

[सं० फा० 10(25)-आई० टी०/70]

के० बालाचन्द्रन, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972